न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)
UPHP010021842019

POCSO Act/38/2019
State Government Vs. Pushpendra
सत्र वाद संख्या 38/2019

सरकार बनाम 1. पुष्पेन्द्र पुत्र महेशचन्द्र
2. नीटू पुत्र पप्पू निवासीगण ग्राम उपैडा, थाना–बाबूगढ़, जिला–हापुड़।

मु0अ0सं0 417 सन 2018
अन्तर्गत धारा 452, 506, 354 भा0दं0सं0
एवं धारा 7/8 पोक्सो अधिनियम
थाना–बाबूगढ़, जिला–हापुड़।

29.07.2026:

पत्रावली दोषसिद्ध अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र व नीटू के सम्बन्ध में दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हुई। दोषसिद्ध अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र व नीटू जिला कारागार से उपस्थित है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया ।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र व नीटू,ने वादी मुकदमा की अव्यस्क पुत्री ''सी''/ पीडिता उम्र करीब 17 वर्ष की लज्जा भंग करने के आशय से गृहअतिचार किया व आपराधिक बल का प्रयोग कर उसके साथ छेडछाड की तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने तथा उस पर लैंगिक हमला करने का अपराध किया है। गंभीर अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम कठोर दण्ड देने का अनुरोध किया गया।

दोष सिद्ध अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वे गरीब मजदूरी पेशा व्यक्ति है । उनका यह प्रथम अपराध है, अतः कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये ।

यहां पर यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि धारा 42 पोक्सो अधिनियम में प्रावधानित है कि–

आनुकल्पिक दंड– जहां किसी कार्य या लोप से इस अधिनियम के अधीन और भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 166 क, धारा 354 क, धारा 354 ख, धारा 354 ग, धारा

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2026.07.29 16:10:01 IST
Reason: judgement
Location: District and Sessions Court

354घ, धारा 370, धारा 370 क, धारा 375, धारा 376, धारा 376–क, धारा 376 कख, धारा 376–ख, धारा 376–ग, धारा 376–घ, धारा 376–घक, धारा 376 घख, धारा 376–ड, धारा 509 के अधीन या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67–ख के अधीन , भी दण्डनीय अपराध गठित होता है वहां, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी उस दण्ड का भागी होगा, जो इस अधिनियन के अधीन या भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45)के अधीन मात्रा में गुरुतर है।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र व नीटू का कृत्य धारा 452,506,354 भा0दं0सं0 के अतिरिक्त धारा 7/8 पोक्सो एक्ट के तहत भी आता है। धारा 354 भा0दं0सं0, के अनुकल्पिक दंड का प्रावधान धारा 7/8 पोक्सो एक्ट के विकल्प में है, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि उपरोक्त दोनों अपराध समरूप (**Analogous**) व सदृश्य है। ऐसी स्थिति में धारा 42 पोक्सो अधिनियम के अनुसार अधिक दंड से दंडनीय दंड हेतु अभियुक्त को दंडित किये जाने का प्रावधान है। चूंकि पोक्सो अधिनियम लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण हेतु पारित विशिष्ट अधिनियम है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र व नीटू धारा 452,506 भा0दं0सं0, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7/8 में दण्डित किये जाने योग्य है।

सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र व नीटू द्वारा वादी मुकदमा की अव्यस्क पुत्री ''सी''/ पीडिता की लज्जा भंग करने के आशय से गृहअतिचार कर आपराधिक बल का प्रयोग कर उसके साथ छेडछाड /लैंगिक हमला करने तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र व नीटू धारा 452,506 भा0दं0सं0 व धारा 7/8 पोक्सो एक्ट के अर्न्तगत दण्डित किये जाने योग्य है।

प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र व नीटू प्रत्येक को धारा 452 भा0द0ंस0 के अन्तर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000/– (पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से , धारा 506 भा0द0ंस0 के अन्तर्गत 2 वर्ष के सश्रम कारावास से, धारा 7/8 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000/– (पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

आदेश

अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र व नीटू प्रत्येक को सत्र परीक्षण संख्या 38/2019 मु0अ0सं0 417/2018 थाना बाबूगढ जिला हापुड में धारा 452 भा0द0ंस0 के अन्तर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000/– (पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा ।

2. अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र व नीटू प्रत्येक को धारा 506 भा0द0ंस0 के अन्तर्गत 2 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया जाता है ।

3. अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र व नीटू प्रत्येक को धारा 7/8 के अन्तर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000/– (पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा ।

सभी सजाए एक साथ चलेंगी । अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में जेल में बितायी गयी अवधि वर्तमान सजावधि में समायोजित की जाये।

अभियुक्तगण का सजायाबी वारण्ट बनाकर उसे सजा भुगतने हेतु जिला कारागार गाजियाबाद भेजा जाए। अभियुक्तगण द्वारा अदा किये गये समस्त अर्थदण्ड की धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर देय होगी।

पोक्सो एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पीड़िता को पुनर्वास हेतु अंकन 25,000/ – रूपये की प्रतिकर धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा देय होगी।

इस निर्णय की एक प्रतिलिपि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये कि यदि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ के पास फण्ड उपलब्ध न हो तो जिलाधिकारी, हापुड़ को इस निर्णय की एक प्रति इस आशय से प्रेषित की जाए कि वह राज्य सरकार से धनराशि प्राप्त कर एक माह के अंदर पीड़िता को प्रदान की जाए तथा इस संबंध में न्यायालय को भी सूचित किया जाए।

निर्णय व दण्डादेश की प्रति अभियुक्तगण को निशुल्क प्रदान की जाये ।

दिनॉकः 29.07.2026

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड़।

आज यह निर्णय/दण्डादेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनॉकः 29.07.2026

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड़।

36. इस प्रकार उपरोक्त तथ्य व परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए उपरोक्त समस्त साक्ष्य के सम्यक् विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि

अतः अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र व नीटू धारा के अर्न्तगत दोषसिद्ध किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र व नीटू को सत्र परीक्षण संख्या 38/2019 मु0अ0सं0 417/2018 थाना बाबूगढ जिला हापुड में धारा 452, 506, 354 भा0दं0सं0,7/8 पोक्सो एक्ट के अर्न्तगत दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्तगण जेरे जमानत न्यायालय में हाजिर है, उनके जमानतनामें व बन्धपत्र निरस्त किए जाते है। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाकर जिला कारागार भेजा जाये। पत्रावली दोषसिद्ध अभियुक्तगण के सम्बन्ध में दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु दि0 29.07.2026 को पेश हो ।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।

दि0 28.07.2026

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर सुनाया गया।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।

दि0 28.07.2026